ORIGINAL RESEARCH PAPER

Arts

सूचना अधिनियम

KEY WORDS:

डॉ. नागनाथ वैजनाथ शेवाळे सहाय्यक प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग, जे. ई. एस. महाविद्यालय, जालना

ABSTRACT

प्रस्ताविक

सूचना का अधिकार विश्व में लगभग 55 देशो में प्रवर्तित है। स्वीडन वह देश है जिसमें सर्वप्रथम 1766 में सूचना के अधिकार का संविधानिक प्रावधान किया। यह प्रावधान freedom of press Act 1966 के रूप में सामने आया। इस प्रावधान के अनुसार जनता एवं प्रेस को जनोपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। 1919 में फिनलैण्ड मैं कानून बनाया। बुल्गेरिया, हंगेरी,मलावी, पोलंड,दक्षिण आफ्रिका,थाईलंड के संविधान में भी सुचना का अधिकार संबंधी प्रावधान किया है। 1888 में कोलंबिया ने जनसाधारण को सूचना का अधिकार प्रधान किया है।

प्रस्ताविक

सूचना का अधिकार विश्व में लगभग 55 देशो में प्रवर्तित है। स्वीडन वह देश है जिसमें सर्वप्रथम 1766 में सूचना के अधिकार का संविधानिक प्रावधान किया। यह प्रावधान freedom of press Act 1966 के रूप में सामने आया। इस प्रावधान के अनुसार जनता एवं प्रेस को जनोपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। 1919 में फिनलैण्ड मैं कानून बनाया। बुल्गेरिया, हंगेरी,मलावी, पोलंड,दक्षिण आफ्रिका,थाईलंड के संविधान में भी सुचना का अधिकार संबंधी प्रावधान किया है। 1888 में कोलंबिया ने जनसाधारण को सूचना का अधिकार प्रधान किया है।

सूचना के अधिकार की अवधारणा :

सूचना के अधिकार को वैश्विक स्तरपर freedom of Information, official Information, Access of Information, Public Information, Right of Information आदि नामो से जाना जाता है। इसका तात्पर्य उस वैधानिक नागरिक अधिकार से है जो किसी देश के व्यक्तियों को सरकारी कार्यकारण से संबंधित सूचनाए प्राप्त करने की अवसर एवं पहुंच प्रधान करता है। सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवाअधिकार है। सयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 19 सूचना के अधिकार की गॅरंटी देता है। सूचना की स्वतंत्रता संबंधी प्रथम वैधानिक प्रयास स्वीडन मे हुआ। व्यापक एंव स्पष्ट कानून 1966 मैं अमेरिका में निर्मित हुआ। 1978 में फ्रान्स मे सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ । 19८2 ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलैंड कनाडा मैं कानून बना। 1999 जपान अलबनिया मै कानून बना। 2000 मालदीव, दक्षिण अफ्रीका 2002 मे भारत पाकिस्तान में सूचना कि स्वतंत्रता नाम से पारित हुआ।

भारत में सूचना अधिनियम :

भारत में सूचना के अधिनियम की मॉग सत्तर की दशक में उस समय जब दिल्ली के चर्चित चोपड़ा हत्याकांड के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकारने खुंखार रंगा बिल्लोसे जेल में साक्षात्कार हेतू प्रशासन मे इस आधार पर अनुमति मांगी थी कि अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता मैं सूचना की प्राप्ती समाहित है । सन 1982में सर्वोच्च न्यायालयने एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में कहा की "यदी एक समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्ण मनोमय के साथ स्विकार करता है तो वहाँ के नागरिकों को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसकी सरकार क्या कर रही है।" न्यायालय यह मानता था की संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना जानने एवं प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी समाहित है। व्दितीय प्रेस आयोग 1978-82 नेही शासकीय गुप्त बात अधिनियम बदलने धारा (5)की सिफारिश की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्या.श्री दिनकर लाल मेहता ने जनहित याचिका के निर्णय में कहा की शहर के प्रत्येक नागरिक को शहर की गतिविधियों प्रशासन के क्रियाकलाप तथा प्रयासों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही .पी. सिंहने पारदर्शी प्रशासन के लिए सूचना का अधिकार का समर्थन किया। भारत में प्रशासनिक कार्यों की जानकारी आम जनता को प्राय दि नहीं जाती इसमें बड़ी बाधा शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 रहा है।

1991 की आर्थिक सुधारों के बाद हुए प्रयास :

सन 1991 के आर्थिक सुधारों से न केवल आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण ने प्रवेश किया बल्कि प्रशासन को स्वायत्तता के साथ जवाबदेयता पारदर्शी इमानदारी सुशासन को लेकर कार्य करना अनिवार्य हुआ है ।जुलै1990में न्या.आर.एस. सरकारीया की अध्यक्षता में बनी प्रेस परिषद ने सूचना की अधिकार के सुझाव दिए है । मॅगसेस पुरस्कार विजेती अरुंधति रॉय एवं उनके संगठन मजदूर किसान शक्ति संगठन को भारत के सूचना के अधिकारों को जननान्दोलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा 30 दिसंबर1996 को पंचायती राज संस्थाओ से सूचना प्राप्ती का अधिकार जनसाधारण को दे दिया । सन 1996 मैं सभी पक्षोंने राजनितिक दलोंने चुनाव घोषणापत्र में सूचना का अधिकार को अधिकार स्थान दिया। इसी दौरान 17 एप्रिल 1996 को राज्यस्तर पर सूचना का अधिकार बनाने वाला प्रथम राज्य का गौरव तमिलनाडु ने प्राप्त किया है। सन 1996 में सूचना के अधिकार की माँग के आन्दोलन के कार्यकर्ताओंने मिलकर सूचना के अधिकार का राष्ट्रीय अभियान की स्थापना की तथा न्या.पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार का प्रथम बील तैयार करके भारत सरकार के पास भेजा इस बिल में संशोधन हेतु सामाजिक कार्यकर्ता एच.डी. शोरी की अध्यक्षता में जनवरी 1997 में एक कार्यदल का गठन किया प्रस्तावित विधेयक का प्रारुप में 1997 में कार्यदल ने सरकार को 11 क्षेत्रों में सोंपी जिसमें देश की सुरक्षा के संबंधित 11 क्षेत्रो के अतिरिक्त विषयोपर सूचना जनता को उपलब्ध करवाने की शिफारिश की। इसी बीच जुलै 1997 में गोवा की प्रतापसिंह राणे सरकारने पहल करते हुए यह अधिकार प्रदान किया।

30 जनवरी 1997 में पाँचवे वेतन आयोग ने भी सूचना के अधिकार की अनुशंसा की है। इसी वर्ष उड़ीसा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में सूचना प्राप्ति की सुरुवात की। भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम 1983 के माध्यम से कतिपय सूचना प्रदान करने का अधिकार प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

2000 मैं राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तथा 2001 में दिल्ली में सूचना का अधिकार लागू हुए। भारत के संदर्भ में सुखद आश्चर्य यह है कि सूचना के अधिकार की लढाई ग्रामीण तथा निर्धन वर्ग द्वारा लड़ी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने एच.डी.शोरी कार्यदल की रिपोर्ट 25 जुलै 2000 को सूचना कि स्वतंत्रता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया जिसे गृह मंत्रालय की स्थाई समिति को भेजा गया।समितिने संसद में यह सूचना कि स्वतंत्र अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया लेकिन अल्प प्रभावी कानून की राष्ट्र में भारी आलोचना हुई। 2004 में सत्ता में आई यूपीए सरकारने 23 दिसंबर 2004 को नया सुचना का अधिकार विधेयक संसद में प्रस्तुत किया । लम्बी बहस के पश्चात 11 में 2005 को लोकसभा ने इसे अनुमती दी। और राज्यसभा ने अगले दिन संमती दी। राष्ट्रपति की अनुमती 15 जून 2005 को मिलते ही शेष प्रावधान लाभ हुआ । भारत सरकार के 21जुन 2005 के राजपत्र में यह अधिनियम प्रकाशित हुआ इस प्रकार सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005(विजयादशमी)से संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर छोड़कर लागू हुआ प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हिद्दायतुल्ला बन गये।

सूचना अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान

उद्देश

1) लोक प्राधिकारीयो की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जबाबदेयता लाना।
2) लोक प्राधिकारीयो के नियत्रणाधीन सुचना तक नागरिको की पहुँच सूनिश्चित करना।
3) नागरिको हेतु सूचना के अधिकार कि व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापन करने के लिए।
4) एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने एंव उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने हेतु लाया है।
5) लोकतंत्र में नागरिक को सूचनाओं से वंचित न रखा जाए।

लोक प्राधिकारीयों हेतु बाध्यताएँ :

अधिनियम की धारा 4 यह प्रावधान है की प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी रिकॉर्ड वर्गीकृत एंव व्यवस्थित ढंग से संधारित करेगा। ताकि सूचना के अधिकार को सहज बनाया जा सके। उपलब्ध संसाधनों को मध्यनजर रखते हुए यथासंभव शीघ्रही ऐसा समस्त सूचनाएं कम्प्यूटरीकृत की जाय तथा उन्हे इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जा जाए इस कानून के लागू होने के 120 दिन के अंदर लोक प्राधिकारी संबंधित सूचना प्रकाशित करेगा।

दिन का अवधी :

किसी भी स्थिति में माँगी गई सूचना देने में 30 दिन से अधिक समय नहीं लगाया जाएगा सूचना का सम्बनध व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना आवेदन प्राप्ति के ४८ घंटे की भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

न दी जानेवाली सूचनाएँ :

अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है की -

१) देश की एकता,सुरक्षा तथा रणनीति,वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
२) जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानता होती है।
३) जिसके से प्रकटन से संसद या किसी राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन होता है।
४) जिसके प्रकट से तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचती है जिसमें वाणिज्यिक विश्वास,व्यापार, गोपनीयता,बौद्धिक संपदा सम्मलित है।
५) विदेशी सरकार के विश्वास में प्राप्त सुचनाएं।
६) मंत्रीमंडल की कारदपत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

आवेदक को अपील करते समय निम्नांकित विवरण देना होगा।

१) आवेदक का नाम एवं पता।
२) सूचना अधिकारी का नाम, पता एवं कार्यालय।
३) तत्सम्बन्धी आदेश के क्रमांक का विवरण।
४) अपील के संबंधित प्रमुख संक्षिप्त तथ्य।
५) चाही गई सहायता का आधार।
६) अपील निस्तारण में आयोग के लिए अन्य सूचना

सूचना अधिनियम के लाभ एवं हानि - लाभ

१) इस से लोकतांत्रिक मुल्य की वीडियो की स्थापना होती है।
२) प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता बढ़ती है।
३) प्रशासन तथा जनता की मध्य व्याप्त दूरी कम होती है।
४) प्रशासन पर जनता का विश्वास बढता है।
५) जनता को कार्यकुशल लोकसेवाए मिलती है।
६) प्रशासकीय निर्णयो में तार्किकता तथा तटस्थता बढ़ती है।
७) प्रशासन को स्वस्थ आलोचना तथा सुझाव प्राप्त होते हैं।
८) भ्रष्टाचार मनमानी अनियमितता पर अंकुश लगता है।
९) लोक प्रशासन को जनता की भावनाओं का पता चलता है।
१०) लोकसेवको द्वारा सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगता है।
११) निर्णय कार्य में गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बढ़ती है।
१२) लोकसेवकों का अंहकार नियंत्रित होता है।

दोष

१) व्यक्ति इसका दुरूपयोग करके व्यक्तिगत दोष निकाल सकते हैं।
२) प्रशासन में नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति कठोरता बढ़ सकती है।
३) लोकसेवकों की पहल क्षमता एवं तत्परता से कार्य करने में कमी आ सकती है।
४) नीम्नस्तरीय स्वयंसेवी संगठन या पत्रकारिता के समर्थक व्यक्ति ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं।
५) निर्णय लेनेवाली प्रक्रिया एवं शब्दावली में जटिलता आती है।
६) लोकसेवकों मैं जिम्मेदारी से भागने या निर्णय दूसरो पर टालने की प्रवृर्ती बढ़ सकती है।
७) प्रशासकीय तंत्र का कार्यभार बढ़ सकता है।

शिफारशी

१) प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को भी सरकार द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए।
२) लोकपाल एवं लोकायुक्त को सक्षम बनाया जाना चाहिए।
३) सूचना के अधिकार का प्रचार एवं प्रसार जनसामान्य में करना चाहिए।
४) पूर्ववैमनस्य या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
५) लोक सूचना अधिकारी ने शिकायतों का निवारण स्वयं प्रेरीत होकर करना चाहिए।
६) जनता को प्रभावी करनेवाली महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण करते समय तथा निर्णयों की सूचना प्रकाशित करायी जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

१) डॉ.बी. एल. फडिया, लोकप्रशासन, प्रकाशन साहित्य भवन, आगर.
२) एम. लक्ष्मीकांत, लोक प्रशासन, टाटा मॅगों हिल एजुकेशन, नवी दिल्ली
३) अवस्थी एवं अवस्थी, भारतीय प्रशासन प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा
४) पवन कुमार, भारतीय राजनीति की दिशा एवं दशा वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली